


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड द्वितीय, कुशीनगर

कृषकों हेतु सूचना

सिंचाई खण्ड कुशीनगर/सिंचाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर



गण्डक नहर प्रणाली
रोस्टर
फसली 1422
2014-15



बिहार प्रांत

बिहार प्रांत

पत्रांक /रोस्टर/सिंचाई खण्ड-2 कुशीनगर/2014-2015/दिनांक 11-04-2014

- आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।
- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- अपर जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
- पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
- अधीक्षक अभियन्ता गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल प्रथम, गोरखपुर।
- अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड /प्रथम /द्वितीय/ गोरखपुर/ महाराजगंज/ कुशीनगर/देवरिया
- परगनाधिकारी पडरौना/तमकुहीराज/कसया।
- संयुक्त निदेशक कृषि, गोरखपुर
- जिला कृषि अधिकारी, कुशीनगर।
- जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
- मा० संसद सदस्य देवरिया/पडरौना।
- मा० अध्यक्ष जिला पंचायत, कुशीनगर।
- जिला गन्ना अधिकारी, कुशीनगर।
- खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख कसया/पडरौना/नेबुआ नौरंगिया/खड्डा/विशुनपुरा/दुधई/तमकुहीराज/सेवरही/फाजिलनगर।
- मा० विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य देवरिया /कसया /फाजिलनगर/सेवरही/पडरौना/नेबुआ नौरंगिया।
- सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ सिंचाई खण्ड-2 पडरौना /फाजिलनगर/तमकुही रोड एवं समस्त संचालक टिण्डेल मुख्य नहर एवं बेलदार हेतु अतिरिक्त प्रतियां।
- उप राजस्व अधिकारी सिंचाई खण्ड-2 कुशीनगर।
- जिलेदार/प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ सिंचाई खण्ड-2 पडरौना /फाजिलनगर/तमकुही रोड सींच पर्यवेक्षक व सींचपाल हेतु अतिरिक्त प्रतियां संलग्न।
- समस्त ग्राम प्रधान नहरी क्षेत्र सिंचाई खण्ड द्वितीय, कुशीनगर।
- समस्त अवर अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर।
- मा० सिंचाई बन्धु अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद, कुशीनगर।

नोट :- प्रत्येक ग्राम प्रधान को सम्बन्धित सींचपालों द्वारा रोस्टर का वितरण किया जायेगा तथा प्राप्त रसीद खण्डीय कार्यालय को भेजी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड द्वितीय, कुशीनगर

सम्बन्धित अधिकारियों से मिलने का समय

क्रम सं०	पदाधिकारी	स्थान मुख्यालय	समय	दिनांक	कार्यक्षेत्र
1.	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय, कुशीनगर	फाजिलनगर	10 से 17	शुक्रवार	मुलाना 8100 से 131.400 तक एवं नहर मंडिया बाबा हरपुर रा० नरुंगिया रा० हरवो रा० बाब बाबा दुधई रा० पुर्वीपुर रा० मलवा मा० रामपुर मा० परसीनी रा० कसयपुर रा०
2.	सहा० अभि० प्रथम/जिलेदार	पडरौना	10 से 17	शनिवार	मंडिया बाबा प्र० व हरपुर रा० प्र०
3.	सहा० अभि० द्वितीय/जिलेदार	पडरौना	10 से 17	शुक्रवार	मुलाना 8100 से 131.400 तक एवं नहर बाब बाबा दुधई रा० नरुंगिया रा० हरवो रा० एवं दुधई रा०
4.	सहा० अभि० तृतीय/जिलेदार	फाजिलनगर	10 से 17	सोमवार	बाब बाबा कि० 11130 से तक एवं उसके निकलने वाली समस्त नहरें।
5.	सहा० अभि० चतुर्थ/जिलेदार	तमकुही रोड	10 से 17	मंगलवार	भगवानपुर राजवाहा प्र० पुर्वीपुर रा० प्र० मलवा मा०, रामपुर मा० परसीनी राजवाहा
6.	उप राजस्व अधिकारी सिंचाई खण्ड, कुशीनगर	फाजिलनगर	10 से 17	शुक्रवार	सिंचाई खण्ड द्वितीय की समस्त नहरें।

किसान भाईयों :-

(अ) क्या आप जानते हैं कि :-

- फसल की आवश्यकता से अधिक पानी देने पर कम उपज होती है।
- कुलावा की गुल ठीक दशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।
- यदि खेत का कुछ भाग सींचा गया हो और बाकी भाग 9५ सेमी० ऊंची मेड़ से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सींचकर लगेगा।
- शामिल बट्टा** - किसी नहर का पानी किसी खेत में गया हो और उसकी गुल में निजी साधन से पानी लेकर सींच की गयी हो तो नहर का सींचकर लगेगा।
- तावान** - यदि किसी खेत की सिंचाई अवैधानिक ढंग से की गयी हो तो सींचकर के अतिरिक्त चार गुना तक कर लगाया जायेगा।
- आवजाया** - यदि नहर का पानी बिना बोये खेत में फैलता है तथा गहराई 9५ सेमी० से अधिक हो तो दुगुना/यदि ३० सेमी० से अधिक हो तो तीन गुना सींचकर जो उक्त फसल के लिये सबसे अधिक दर का होगा, लगेगा।
- सिंचाई कर में छूट** - दैवी आपदा जैसे ओला/पाला/टिड्डी/माहू आदि से फसल नष्ट हो जाय तो ४६ प्रतिशत पर कुछ नहीं, ५० प्रतिशत से ७० प्रतिशत पर आधा तथा ७५ प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सींचकर में देय है।
- गलत इन्द्राज** - अभिसिंचित खेत यदि सिंचित मिला हो तो पूर्वा वितरण के २9 दिन के अन्दर यदि डाल सींच की तोड़ था गलत जिन्स अंकित हो तो ३० दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता/डी०आर०ओ०/जिलेदार में से किसी को देना चाहिए अन्यथा अमान्य होगा। ध्यान रहे कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त कराने के 9५ दिन के अन्दर फसल न काटे।

(ब) नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न से सम्पर्क करें :-

- अधीक्षक अभियन्ता** - नये कुलावों की मांग, कमाण्ड, विभाजन दहन, परिवर्तन, नई नहरों तथा नालों का निर्माण एवं तावान के प्रति अपील।
- अधिशासी अभियन्ता** - नहरों का संचालन, नहरी सम्पत्ति की नीलामी एवं भूमि प्रतिकर एवं खादी से हानि नालों की सफाई तथा नहरों की पटरी पर वाहन चलाने की अनुमति, आवजाया एवं तावान।
- सहायक अभियन्ता** - कुलावों के स्थान एवं दहन की त्रुटि, पानी की मांग, नहरों की टेलों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों की सफाई।
- उप राजस्व अधिकारी** - गलत इन्द्राज फसल सोवत मिसमारी गुल।
- अवर अभियन्ता** - टेलों पर पानी की कमी, खादी कटिंग, नहरों एवं नालों की सफाई तथा कुलाओं को सही ढंग से लगाना।
- व्याकरण** - 1. सिंचाई से पूर्व गुलों की सफाई करें। 2. पानी उचित गहराई में लगेयें। 3. पानी लगाने के बाद कुलावा बन्द कर दें। 4. पानी न मिलने पर अथवा नहरों में कटिंग खादी होने पर अवर अभियन्ता/सींचपाल अथवा जिलेदार को सूचित करें।
- नहर न काटे, बन्धा न लगायें, कुलावों के स्थान में परिवर्तन न करें, नहर की पटरी पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर अथवा ट्रक बिना पूर्व अनुमति के बिना न ले जायें, यह वण्डनीय है।
- समस्याओं के निवारण हेतु** - जनपद सिंचाई बन्धु की बैठक में प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को अधिशासी अभियन्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।
- नहरों की दशा काफ़ी दयनीय है तथा उपलब्ध धनराशि में सम्पूर्ण नहरों की सिल्ट सफाई सम्भव नहीं है। अतः सभी टेलों तक पानी पहुँचेगा, यह सुनिश्चित नहीं है। प्रयास किया जायेगा कि सभी टेलों तक पानी पहुँचे।
- विभाग द्वारा प्रस्तावित तथा जिलाधिकारियों को प्रेषित कार्यक्रमानुसार सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण होने पर ही टेलें फीड हो सकेंगी।
- मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर में औसतन 1.75 मी० सिल्टिंग होने के कारण समस्त नहरों की टेलें फीड नहीं हो सकेंगी।
- किसी कारण से यदि कृषकों को पानी उपलब्ध नहीं होता है तो सिंचाई विभाग किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा।
- यह क्रमावली नदी के पानी की उपलब्धता, वर्षा एवं तकनीकी कारणों से परिवर्तित भी हो सकता है।

